

बिहार सरकार समाज कल्याण विभाग

संकल्प

विषय - पटना जिला में पूर्व से संचालित विशेष गृह 'आसरा' के अलावा 50 आवासीय क्षमतावाले दो अतिरिक्त विशेष गृह 'आसरा' खोले जाने तथा प्रत्येक आसरा गृह का संचालन/संधारण ₹0 50,00,000/- (पचास लाख) प्रति वर्ष के स्थान पर ₹0 76,68,000/- (छिहत्तर लाख अड़सठ हजार) प्रति वर्ष की लागत पर करने जिसमें राज्य सरकार एवं स्वयंसेवी संस्थान का अनुपातिक अंशदान 90:10 होगा तथा जिसमें आवर्ती व्यय एवं अनावर्ती व्यय क्रमशः ₹0 67,08,000/- (सडसठ लाख आठ हजार) तथा ₹0 9,60,000/- (नौ लाख साठ हजार) संभावित है, की स्वीकृति।

राज्य सरकार द्वारा सम्यक विचारोपरान्त पटना जिला में पूर्व से संचालित विशेष गृह 'आसरा' के अलावा 50 आवासीय क्षमतावाले दो अतिरिक्त विशेष गृह 'आसरा' खोले जाने तथा प्रत्येक आसरा गृह के संचालन/संधारण ₹0 50,00,000/- (पचास लाख) प्रति वर्ष के स्थान पर ₹0 76,68,000/- (छिहत्तर लाख अड़सठ हजार) प्रति वर्ष की लागत पर करने, जिसमें राज्य सरकार एवं स्वयंसेवी संस्थान का अनुपातिक अंशदान 90:10 होगा तथा जिसमें आवर्ती व्यय एवं अनावर्ती व्यय क्रमशः ₹0 67,08,000/- (सडसठ लाख आठ हजार) तथा ₹0 9,60,000/- (नौ लाख साठ हजार) संभावित है, की स्वीकृति निम्न प्रकार प्रदान की जाती है :-

(क) प्रति गृह हेतु प्रस्तावित भौतिक संरचना

क्र० सं०	भौतिक संरचना	इकाई	प्रति इकाई का क्षेत्रफल (वर्गफीट)	कुल क्षेत्रफल (वर्गफीट)
1	डोरमिटरी	2-5	400-500	2000
2	वर्ग कक्ष	2	250-300	500-600
3	आगन्तुक कक्ष (नया प्रस्ताव)	1	200-250	200-250
4	रोगी कक्ष/प्राथमिक उपचार कक्ष (2 बेड का)	1	150-200	150-200
5	औक्यूपेशनल थिरेपी के लिए कक्ष (नया प्रस्ताव)	1	200-250	200-250
6	रसोई घर	1	200	200
7	स्टोर रूम	1	150	150
8	डाईनिंग हाल	1	400-500	400-450
9	पुस्कालय	-	-	-
10	मनोरंजन कक्ष	1	250-300	250-300
11	स्नान घर	5	25-30	125-150
12	शौचालय (फ्रेंडली शौचालय सहित)	8	25-30	200-240
13	कार्यालय कक्ष	1	250-300	250-300
14	अधीक्षक कक्ष	1	100-150	100-150
15	परामर्श एवं मार्गदर्शन कक्ष	1	100-150	100-150

क्र० सं०	भौतिक संरचना	इकाई	प्रति इकाई का क्षेत्रफल (वर्गफीट)	कुल क्षेत्रफल (वर्गफीट)
16	बहुदेशीय कक्ष/कार्यशाला कक्ष	1	800-1000	800-1000
17	अधीक्षक आवास	1	400-500	400-500
18	सामाजिक कार्यकर्ता/परामर्शदाता/केस वर्कर का आवास	2	150-200	300-400
19	कर्मचारी कक्ष (स्वीपर और क्लीनर)	2	400	800
कुल योग				लगभग 7125

(ख) आवर्ती व्यय :-

A. प्रति गृह हेतु प्रस्तावित पद एवं मानदेय तथा उस पर हानेवाले व्यय से संबंधित विवरणी

क्र० सं०	पदनाम	प्रति गृह प्रस्तावित पदों की सं०	उम्र	शैक्षणिक योग्यता	अनुभव	प्रस्तावित मासिक मानदेय (रु० में)	वार्षिक प्रस्तावित राशि (रु० में)
1	अधीक्षक (प्रभारी)	1	न्यूनतम 25 वर्ष अधिकतम 55 वर्ष	i. स्नातकोत्तर/ मनोविज्ञान/ समाजशास्त्र अथवा ii. बैचलर इन मेटल रिटारडेशन अथवा iii. मानसिक मंदता में बी०एड०/डिप्लोमा	अधीक्षक/ समकक्ष के पद पर क्रमांक i एवं ii के लिए न्यूनतम 3 वर्ष एवं क्रमांक- iii के लिए न्यूनतम 5 वर्षों का अनुभव।	25,000	3,00,000
2	काउन्सलर	1	न्यूनतम 25 वर्ष अधिकतम 55 वर्ष	i. स्नातकोत्तर समाजशास्त्र /मनोविज्ञान/ अथवा ii. बैचलर इन मेटल रिटारडेशन अथवा iii. मानसिक मंदता में बी०एड० iv. पी०जी० डिप्लोमा (क्लीनिकल साइकोलॉजी)	क्रमांक i, ii एवं iii के लिए न्यूनतम 3 वर्ष एवं क्रमांक- iv के लिए एक वर्ष का अनुभव।	17,500	2,10,000

क्र० सं०	पदनाम	प्रति गृह प्रस्तावित पदों की सं०	उम्र	शैक्षणिक योग्यता	अनुभव	प्रस्तावित मासिक मानदेय (रु० में)	वार्षिक प्रस्तावित राशि (रु० में)
3	परिवीक्षा अधिकारी/ बाल कल्याण अधिकारी/मामला कार्यकर्त्ता (प्रोवेशन ऑफिसर)	1	न्यूनतम 25 वर्ष अधिकतम 55 वर्ष	i. स्नातकोत्तर/ मनोविज्ञान/ समाजशास्त्र अथवा ii. बैचलर इन मेटल रिटारडेशन अथवा iii. मानसिक मंदता में बी०एड० अनुभव	परिवीक्षा अधिकारी से संबंधित कार्य करने का न्यूनतम 2 वर्षों का अनुभव।	17,500	2,10,000
4	गृहमाता (हाउस मदर)	2	न्यूनतम 25 वर्ष अधिकतम 55 वर्ष	i. स्नातक (प्रतिष्ठा)/ मनोविज्ञान/ समाजशास्त्र	गृहपति से संबंधित कार्य करने का न्यूनतम 3 वर्षों का अनुभव।	11,000	2,64,000
5	स्पेशल एजुकेटर (शिक्षक)	2	न्यूनतम 25 वर्ष अधिकतम 55 वर्ष	i. स्पेशल एजुकेशन (एम०आर० में बी०एड०) अथवा ii. स्पेशल एजुकेशन में डिप्लोमा	क्रमांक- i निःशक्त बच्चों/व्यक्तियों के साथ कार्य करने का न्यूनतम 3 वर्षों का कार्य अनुभव एवं क्रमांक- ii में 5 वर्षों का अनुभव	17,500	4,20,000
6	औक्यूपेशनल थिरेपिस्ट	2	न्यूनतम 25 वर्ष अधिकतम 55 वर्ष	i. औक्यूपेशनल थिरेपिस्ट में स्नातक ii. औक्यूपेशनल थिरेपिस्ट में डिप्लोमा	क्रमांक i के लिए 2 वर्ष एवं क्रमांक- ii के लिए 5 वर्ष का अनुभव।	17,500	4,20,000

Any

क्र० सं०	पदनाम	प्रति गृह प्रस्तावित पदों की सं०	उम्र	शैक्षणिक योग्यता	अनुभव	प्रस्तावित मासिक मानदेय (रु० में)	वार्षिक प्रस्तावित राशि (रु० में)
7	चिकित्सक (अंशकालीन) (सप्ताह में कम से कम दो दिन, प्रत्येक भिजिट दो घंटे के लिए होगा)	1	न्यूनतम 25 वर्ष अधिकतम 55 वर्ष	मान्यता प्राप्त चिकित्सा महाविद्यालय से एम० बी० बी० एस० की डिग्री	2 वर्षों का कार्य का अनुभव	1,500 निरीक्षण (कुल-8 निरीक्षण) 12,000	1,44,000
8	मनोचिकित्सक (अंशकालीन) (एक सप्ताह में कम से कम दो दिन, प्रत्येक भिजिट तीन घंटे के लिए होगा)	1	न्यूनतम 25 वर्ष अधिकतम 55 वर्ष	मान्यता प्राप्त चिकित्सा महाविद्यालय से मनोचिकित्सा में स्नातकोत्तर (MD)/डिप्लोमा (DPM)	MD में एक वर्ष का एवं DPM में 2 वर्षों का कार्य का अनुभव	2,000 निरीक्षण (कुल-8 निरीक्षण) 16,000	1,92,000
9	ए०एन०एम०	1	न्यूनतम 25 वर्ष अधिकतम 55 वर्ष	नर्सिंग में (जी०एन०एम०) डिप्लोमा	किसी सरकारी अथवा Indian Nursing Council से मान्यता प्राप्त संस्थान द्वारा नर्सिंग क्षेत्र में कार्य करने का 1 वर्ष का अनुभव प्रमाण पत्र	12,000	1,44,000
10	लेखापाल-सह-भंडारपाल	1	न्यूनतम 25 वर्ष अधिकतम 55 वर्ष	बी० कॉम की डिग्री	लेखा क्षेत्र में कार्य करने का 3 वर्षों का अनुभव। कम्प्यूटर का ज्ञान	15,000	1,80,000

क्र० सं०	पदनाम	प्रति गृह प्रस्तावित पदों की सं०	उम्र	शैक्षणिक योग्यता	अनुभव	प्रस्तावित मासिक मानदेय (रु० में)	वार्षिक प्रस्तावित राशि (रु० में)
11	हाउस मेड (दाई/केयर टेकर)	4	न्यूनतम 25 वर्ष अधिकतम 55 वर्ष	मैट्रिक उत्तीर्ण	संबंधित क्षेत्र में कार्य करने का 3 वर्षों का अनुभव	7,500	3,60,000
12	रसोईया	1	न्यूनतम 25 वर्ष अधिकतम 55 वर्ष	मैट्रिक उत्तीर्ण	खाना बनाने का 3 वर्षों का अनुभव	7,500	90,000
13	हेल्पर	2	न्यूनतम 25 वर्ष अधिकतम 55 वर्ष	मैट्रिक उत्तीर्ण खाना बनाने का 3 वर्षों का अनुभव	खाना बनाने एवं महिलाओं, बालिकाओं के देख-रेख कार्य का 3 वर्षों का अनुभव	6,000	1,44,000,
14	सुरक्षा प्रहरी	3	न्यूनतम 25 वर्ष अधिकतम 55 वर्ष	मैट्रिक उत्तीर्ण	संबंधित क्षेत्र में कार्य करने का 3 वर्षों का अनुभव	7,500	2,70,000
15	अनुसेवक	2	न्यूनतम 25 वर्ष अधिकतम 55 वर्ष	मैट्रिक उत्तीर्ण	बागवानी में 3 वर्षों का अनुभव	7,500	1,80,000
16	धोबी	-	-	-	-	-	-
कुल योग		25	-	-	-	-	35,28,000

(Signature)

क्र० सं०	विवरण	इकाई	प्रस्तावित राशि (रु० में)
1	कर्मचारी का वेतन	-	35,28,000
2	मकान किराया केवल आसरा गृह हेतु (संगत नियम के आधार पर) रु० 1,00,000/- प्रति माह)	-	12,00,000
3	अनुरक्षण (भोजन, वस्त्र एवं तेल इत्यादि) रु० 2000 (1400+600)	50	12,00,000
4	जल एवं बिजली प्रभार (वास्तविक व्यय के अधीन) रु० 10,000/- प्रति माह	-	1,20,000
5	परिवहन	-	1,00,000
6	खेल-कूद उपकरणों आदि (वास्तविक व्यय के अधीन)	-	60,000
7	दवा इत्यादि (रु० 500 प्रति माह प्रति आवासिन)	-	3,00,000
8	आकस्मिक व्यय	-	2,00,000
योग		-	67,08,000

* अनुरक्षण मद में आवासिनों की संख्या 50 से अधिक होने पर अनुपातिक राशि देय होगा।

क्र० सं०	विवरण	इकाई	प्रति इकाई की कीमत	प्रस्तावित राशि (रु० में)	अभ्युक्ति
1	महिलाओं/बालिकाओं के लिए 50 बेड हेतु कबर्ड/स्टील लॉकर, खाने तथा कक्षा कक्षों, तथा गृह स्टॉफ के लिए मेज एवं कुर्सियों तथा स्टॉफ के लिए कबर्ड, बिजली से संबंधित अन्य उपयोगी सामग्री इत्यादि	50	-	7,35,000	
2	यू०पी०एस० सहित 2 कम्प्यूटर तथा 1 प्रिंटर-सह-स्कैनर	2+1	30,000	90,000	
3	2 टेलीविजन (26 बालिकाओं के लिए)	2	30,000	60,000	
4	रसोई घर के लिए उपकरण (कनेक्शन सहित गैस, स्टोव, बर्तन, वाटर फिल्टर इत्यादि)	-	-	75,000	
योग				9,60,000	
कुल योग ख+ग				76,68,000	

2. विशेष गृह 'आसरा' हेतु सृजित पक्षों के विरुद्ध नियुक्ति में आरक्षण के नियमों का पालन करने के साथ-साथ शैक्षणिक योग्यता एवं चयन प्रक्रिया में पारदर्शिता रखा जायेगा। नियुक्ति में विधवा/परित्यक्ता महिला/एकल माँ को प्राथमिकता दी जायेगी। साथ ही स्वयंसेवी संस्था के द्वारा कर्मियों की नियुक्ति रिक्त पदों के विरुद्ध विज्ञापन प्रकाशित कर आवेदन आमंत्रित किये जायेंगे। तत्पश्चात चयनित संस्था द्वारा गठित पाँच सदस्यीय कमिटी जिसमें निदेशक, समाज कल्याण अथवा उनके द्वारा नामित पदाधिकारी तथा संबंधित जिला के जिला पदाधिकारी द्वारा नामित प्रतिनिधि सदस्य/पर्यवेक्षक के रूप में अनिवार्य रूप से शामिल होंगे, द्वारा अभ्यर्थी का चयन किया जायेगा। बिहार किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) नियमावली, 2017 के नियम 88-5(iv) में प्रावधान के अनुसार पाँच सदस्यीय कमिटी के सदस्यों, संस्था के कार्यकारी सदस्यों एवं नियुक्ति हुए कर्मों के बीच आपस में किसी प्रकार का समरक्त अथवा दाम्पत्य का रिश्ता नहीं होगा। वर्तमान में संचालित विशेष गृह 'आसरा' में भी उपर्युक्त सभी प्रावधान लागू होगा।

3. यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

आदेश :- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति सर्वसाधारण की जानकारी के लिए राजपत्र में प्रकाशित करायी जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

(वीरेन्द्र कुमार)
संयुक्त सचिव,

समाज कल्याण विभाग।

जापांक-10/बजट-07/2016- 2339

पटना-15, दिनांक- 30-11-17

प्रतिलिपि :- हस्ताक्षरित प्रति अधीक्षक, मुद्रणालय, गुलजारबाग प्रेस, पटना को इसे राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशनार्थ एवं विभाग को 100 अतिरिक्त प्रतियाँ भेजने हेतु अग्रसारित।

(वीरेन्द्र कुमार)
संयुक्त सचिव,

समाज कल्याण विभाग।

जापांक-10/बजट-07/2016- 2339

पटना-15, दिनांक- 30-11-17

प्रतिलिपि :- निदेशक, समाज कल्याण/समाज कल्याण विभाग के सभी पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(वीरेन्द्र कुमार)
संयुक्त सचिव,

समाज कल्याण विभाग।

जापांक-10/बजट-07/2016- 2339

पटना-15, दिनांक- 30-11-17

प्रतिलिपि :- सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/सभी सहायक निदेशक, जिला बाल संरक्षण इकाई एवं सभी अधीक्षक, विशेष गृह, पर्यवेक्षण गृह, उत्तर रक्षा गृह एवं बाल गृह को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(वीरेन्द्र कुमार)
संयुक्त सचिव,

समाज कल्याण विभाग।